अनुदान संख्या 102 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 102 – PUBLIC WORKS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*1,00,00*	..	*-1,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	1169,20,00			
			1273,95,00	1248,83,97	-25,11,03
पूरक	Supplementary	104,75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				96,20
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	*Charged-*		*1,00,00*	*2,17*	*-97,83*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	483,24,00			
			507,24,00	441,11,48	-66,12,52
पूरक	Supplementary	24,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				66,26,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹100.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल. बचतें (₹2511.03 लाख) अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹10475.00 लाख के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, a*ppropriation* of *₹100.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2511.03 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grants of ₹10475.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 2 percent of the total sanctioned provision**.**

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	116920.00			
पू.	S.	10475.00	127298.80	124883.97	-2414.83
पु.	R.	- 96.20			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) "कार्यालय भवन - रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना" - ₹8850.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4114.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12964.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹1308.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) "अन्य भवन - रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना" - ₹3450.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1583.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5033.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹671.20 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बजट विलंब से प्राप्त होने की वजह से वेतन और भत्तों की अदायगी न किए जाने के कारण हुईं।

(गा) "सामान्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "कार्यान्वयन" - ₹38912.33 लाख के मूल प्रावधान को ₹2572.87 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹41485.20 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹572.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) "Office Buildings – Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment"– the original provision of ₹8850.00 lakhs was augmented to ₹12964.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4114.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1308.01 lakhs; and

(B) "Other Buildings – Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment"– the original provision of ₹3450.00 lakhs was augmented to ₹5033.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1583.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹671.20 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-payment of arrears of pay and allowances owing to late receipt of budget.

(C) "General" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "Execution" – the original provision of ₹38912.33 lakhs was augmented to ₹41485.20 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2572.87 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹572.70 lakhs; and

(ii) ''संरचनात्मक योजना'' - ₹7240.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹596.62 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7836.62 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹170.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Structural Planning'' - the original provision of ₹7240.00 lakhs was augmented to ₹7836.62 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹596.62 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹170.00 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और घरेलू यात्रा व्यय और चिकित्सा संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards domestic travel expenses and medical.

(iii) ''सामान्य स्थापना'' - ₹868.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹180.51 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1048.51 लाख कर दिया गया, तथापि जो स्टाफ से कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹42.81 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) "Ordinary Establishment'' - the original provision of ₹868.00 lakhs was augmented to ₹1048.51 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹180.51 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹42.81 lakhs - due to receipt of less claims from staff.

(ख) ''अन्य व्यय - राजघाट समाधि समिति को सहायता अनुदान'' - ₹397.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹41.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹438.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो संविदाकारों से रख-रखाव संबंधी बिल प्राप्त न होने के कारण ₹36.33 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Other Expenditure - Grants-in-aid to Rajghat Samadhi Committee'' - the original provision of ₹397.00 lakhs was augmented to ₹438.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹41.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹36.33 lakhs - due to non-receipt of maintenance bills from contractors.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं :-

(II) Savings also occurred under the following heads:-

(का) ''कार्यालय भवन - उचंत - स्टाक'' - ₹244.91 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेंडर प्रक्रिया में मुख्य कार्य परियोजनाओं के लिए सामग्री का अनुबंध न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings - Suspense - Stock'' – saving of ₹244.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non stipulation of material for major work projects in the tender process.

(खा) ''सामान्य'' -

(B) "General'' –

(क) ''निदेशन और प्रशासन - निदेशन'' - ₹370.22 लाख की बचत (₹11877.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और घरेलू यात्रा व्यय तथा चिकित्सा संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Direction'' – saving of ₹370.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11877.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards domestic travel expenses and medical.

(ख) "अन्य व्यय - भूमि और विकास कार्यालय" - ₹197.49 लाख की बचत (₹900.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा और पेशेवर सेवाओं संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Land and Development Office" - saving of ₹197.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 900.35 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards medical and professional services.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.86 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹99.86 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) "कार्यालय भवन - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" - ₹820.28 लाख का अधिक व्यय (₹17752.87 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) "Office Buildings - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹820.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17752.87 lakhs); and

(II) "अन्य भवन - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" - ₹288.52 लाख का अधिक व्यय (₹6650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) "Other Buildings - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹288.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6650.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूरे किए गए निर्माण कार्यों के लंबित संविदात्मक देयताओं का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds to clear pending contractual liabilities of completed works.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹97.83 लाख* की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 98 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *₹97.83 lakhs* occurred under one head constituting 98 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6612.52 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2400.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (6626.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹6612.52 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹2400.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (₹6626.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	42584.00			
पू.	S.	2400.00	40160.00	40480.73	+320.73
पु.	R.	- 4824.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	4740.00	2938.00	2657.52	-280.48
पु.	R.	-1802.00			

(I) ₹50.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4059" – savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" - ₹3538.73 लाख की बचत (₹15959.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Office Buildings - Construction - Buildings" - saving of ₹3538.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15959.00 lakhs); and

(खा) "सामान्य - निर्माण" -

(B) "General – Construction"-

(क) "भारत का उच्चतम न्यायालय" - ₹145.83 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Supreme Court of India" - saving of ₹145.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow progress of ongoing works.

(ख) "लोक सभा" - ₹608.37 लाख की बचत (₹3750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों

(b) "Lok Sabha" -saving of ₹608.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3750.00 lakhs)

की धीमी प्रगति होने और लोक सभा टेलीविजन चैनल से कम मांग होने के कारण हुईं।

(ग) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹175.91 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "4250" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "श्रम-भवन" - ₹1684.84 लाख की बचत (₹2740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "रोजगार - भवन" - ₹397.64 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संबंधित विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुईं।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹125.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - गृह कार्य" के अंतर्गत ₹2400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹122.70 लाख था।

was due to slow progress of ongoing works and less demand by Lok Sabha TV channel.

(c) "New and Renewable Energy" - saving of ₹175.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs);

(III) Under Major Head "4250" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour – Buildings" - saving of ₹1684.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2740.00 lakhs); and

(B) "Employment– Buildings" – saving of ₹397.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of administrative approval/expenditure sanction from the client departments.

6. The above savings were partly (₹125.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2400.00 lakhs under Major Head "4059" – "General – Construction – Home Affairs". Actual excess, however, was ₹122.70 lakhs.